

3/400-26/2017(खण्ड)

13

बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश  
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, मा.प.स.  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 16.5.18

**विषय :** वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर योजनान्तर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत अंतर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वल्प आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु सहायक अनुदान की राशि 700.00 लाख (सात करोड़) ₹0 मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा कुआ-कुत की भावना का समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना संघालित है। उक्त के अलावा में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत कुल 700.00 लाख (सात करोड़) ₹0 मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	मूल बजट उपबंध
1	अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	51-2235028000002	700.00
	कुल 700.00 लाख (सात करोड़) मात्र		700.00

- स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आतंजनदेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यन्तयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का गालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- राशि की निकासी एवं व्ययन विवर विभाग के पत्राक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि० दिनांक-31.05.2017 378/वि० दिनांक-16.01.2018, 354/वि० दिनांक-28.03.2018 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
- यह स्वीकृत्यादेश संघिका सं०-3/400-26/2017(खंड) के दिपधी पृ०-08/दि० पर दिनांक-14.05.2018 को गालनीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
- यह स्वीकृत्यादेश संघिका सं०-3/400-26/2017(खंड) के पत्राचार पृ०-41/प० पर दिनांक-09.05.2018 को आंतरिक वित्तीय सलहकार की सहमति के उपरान्त निर्गत की जा रही है।

7 यह बालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

जापांक- : 3/यो0-26/2017खण्ड।

13

पटना-15, दिनांक-

16.5.18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आईडीसीडीएसओ, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकसी एवं व्यवस्थापन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

जापांक- : 3/यो0-26/2017खण्ड।

13

पटना-15, दिनांक-

16.5.18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंघाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।